कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-61/2016-17/

दिनांक : /01/2017

सेवा में,

ज़िला विकास अधिकारी,

उत्तरकाशी

विषय : जिला विकास अधिकारी, उत्तरकाशी का 01/11/2014 से 30/09/2016 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में शून्य प्रस्तर भाग-4 (ब)-2 में 01 प्रस्तर तथा STAN के 01 प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की परिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन का प्रथम परिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 परिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 61/2016-17/ दिनांक : /01/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून।

2- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, कंडोलिया, पौड़ी, ज़ि- पौड़ी गढ़वाल।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये जिला विकास अधिकारी, उत्तरकाशी पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री आनन्द सिंह - जिला विकास अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री एस. के. त्यागी.,व. ले.प.अ.
(ii) श्री पी.एल शर्मा, स.ले.प.अ.
(iii) श्री अर्जुन सिहं, स.ले.प.अ.
(iv) श्री मधुकर मिश्र, व.ले.प.

(स) संप्रेक्षा तिथि 21/10/2016 से 03/11/2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 01/11/2014 से 30/09/2016

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **जिला विकास अधिकारी, उत्तरकाशी**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत राज अधिकारी है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः-

भौगोलिक क्षेत्र : -

जनसंख्या :

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या :

3. (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः

4. (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:-

बैठक :

5. कर्मचारियों की संख्या: -28

6. पंचायतराज की सम्पतियां: -

7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट: -

8. योजनाओं की संख्या

9. (अ) सामाजिक संरक्षा: -

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

z(द) लाभार्थियों की संख्या:

10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि:

11. वर्ष के दौरान कुल व्यय:

(अ) सामान्यः-

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया-

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **जिला विकास अधिकारी, जनपद- उत्तरकाशी** के लेखा/अभिलेखों की 01/11/2014 से 30/09/2016 तक की सम्प्रेक्षा श्री एस. के. त्यागी,व.ले.प.अ, श्री पी.एल. शर्मा, स.ले.प.अ., श्री अर्जुन सिहं स.ले.प.अ. तथा श्री मधुकर मिश्र, व.ले.प. द्वारा दिनांक 21/10/2016 से 03/11/2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तरः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**भाग-4 (ब)-2**	**STAN**
AIR-115/2014-15	प्रस्तर- 01 व 02	प्रस्तर-01

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग**
	प्रस्तरों की संख्या

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर-

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची- शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख -

भाग 4ब)2

प्रस्तर 1:- ` 4.47 लाख की धनराशि लाभार्थियों के खाते में जमा न करना।

उत्तराखण्ड़ शासन के आदेश सं. 676/XI/07-56(1)/2007 दिंनाक 09 अक्टूबर 2007 के अनुसार दीनदयाल आवास योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु दी जाने वाली धनराशि को जिला विकास कार्यालय द्वारा लाभार्थियों द्वारा खोले गये बैंक खातों में हस्तान्तरित की जायेगी।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी उत्तरकाशी में दीनदयाल आवास योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में उक्त मद से प्राप्त द्वितिय किस्त की धनराशि लाभार्थियों के खातों में निम्न विवरण के अनुसार दिंनाक 20.03.2015 को हस्तान्तरित की गई हैः-

	लाभार्थियों की संख्या	**अवमुक्त धनराशि**
1. विकास खण्ड़ भटवाड़ी	1	0.35 लाख
2. विकास खण्ड़ डुण्डा	4	1.20
3. विकास खण्ड़ चिन्यालीं	2	0.70
4. विकास खण्ड़ नौगाँव	2	0.82
5. विकास खण्ड़ पुरौला	2	0.70
6. विकास खण्ड़ मोरी	2	0.72
	योग	**4.47 लाख**

उपरोक्त धनराशि को 31 मार्च 2015 को समेकित निधि में जमा करने तथा वित्तीय विभाग की स्वीकृति लेने की अनिवार्यता से बचने के लिये खण्ड़ विकास अधिकारियों के खातों में ड़ाली गई है जो कि शासन द्वारा निर्गत आदेशों/दिशा-निर्देशों का उल्लघंन है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि उक्त धनराशि के त्वरित उपयोग के लिये खण्ड़ विकास अधिकारियों के खातों के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि अवमुक्त की गई है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि धनराशि का हस्तान्तरण शासन द्वारा निर्गत आदेशों के आधार पर ही किया जाना चाहिये था तथा विभाग द्वारा शासनादेशों के विपरीत भुगतान की कार्यवाही की गई है।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- ` 6.59 लाख व्यय करने के उपरान्त भी सात योजनाओं का अपूर्ण रहना।

ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों व जलस्रोतो के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से तालाब विकास विभाग का सृजन किया गया था जिसका कार्यक्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों की मरम्मत/पुनर्निर्माण/सुधारीकरण के उद्देश्यपूर्ति का था। ताकि इन तालाबों एवं जल स्रोतों से ग्रामीण क्षेत्रवासियों को सिंचाई एवं मतस्यपालन का लाभ प्राप्त हो सके। चूंकि वर्तमान में सम्बन्धित विभाग अस्तित्व में नहीं आया है, अतः मुख्य विकास अधिकारी को इस हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया था। विभागीय गतिविधियाँ नोडल अधिकारी के नियन्त्रण में चयनित कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से की जाती थी।

जिला विकास अधिकारी कार्यालय में उक्त मद के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग को शासनादेश सं. 329 दिंनाक 05.02.2016 द्वारा सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2015-16 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ` 10.00 लाख की धनराशि दिनांक 09.02.2016 को आवंटित की गई थी। विभाग द्वारा उक्त धनराशि को कार्यदायी संस्थाओं को दिंनाक 13.03.2016 को अवमुक्त किया गया था। परियोजना समन्वयक के पत्र सं. 472 दिंनाक 03 सितम्बर 2016 के अनुसार कार्यों का सम्पादन करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र सितंबर 2016 तक प्रेषित किया जाना था परन्तु लेखापरीक्षा की तिथि (नवम्बर 2016) तक 11 योजनाओं के सापेक्ष 4 योजनाये ही पूर्ण की गई थी जबकि ` 6.59 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि कार्य प्रगति पर है तथा शीघ्र पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिये जायेगें।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि कार्यों की पूर्ति मे समय एक महत्वपूर्ण बिन्दु होता है जिसके अनुपालन हेतु सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होते है एवं विलम्ब के कारण लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है।

अतः अपूर्ण कार्यों से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>अनुभाग-4-(स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **ज़िला विकास अधिकारी, जिला-उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित की गयी है कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

व.लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय